ORDER SHEET [Contd] विशेष विद्युत प्र0क0 .....116/2016.....

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
22.4.2018	नेशनल लोक अदालत दिनांक 22.04.2018 परिवादी विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उपमहाप्रबंधक की ओर से सहायक यंत्री / किनण्ड यंत्री गोहद शहर श्री अजय उमाले सहित श्री अरूण श्रीवास्तव अधिवक्ता उप०।  अभियुक्त कासिम खां स्वयं उपस्थित। प्रकरण नेशनल लोक अदालत में पेश हुआ। प्रकरण में परिवाद विद्युत विभाग द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध धारा 135(1)क विद्युत अधिनियम के तहत पेश किया गया है। प्रकरण में परिवाद मामले में विद्युत विभाग द्वारा उपमहाप्रबंधक की ओर से सहायक यंत्री / किनण्ड यंत्री ने अपने अधिवक्ता सहित धारा 152 विद्युत अधिनियम के तहत आवेदन पत्र पेश कर व्यक्त किया है कि इस मामले में अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम अपराध है एवं नेशनल लोक अदालत के मान से विद्युत उर्जा की राशि व शमन शुल्क जमा किया जा चुका है तथा उभयपक्ष ने व्यक्त किया है कि उनके मध्य स्वेच्छया पूर्वक राजीनामा हो गया है। अतएव लोक अदालत में उक्त प्रकरण समाप्त किया जावे।  सुना गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। विचारोपरांत धारा 152 विद्युत अधिनियम का आवेदन उचित होने से स्वीकार कर राजीनामा के आधार पर अभियुक्त को उक्त धारा 135(1)क विद्युत अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त के विरूद्ध जमानती / गिरफ्तारी वारंट जारी होने की दशा में उसे अविलंब अदम तामील वापस बुलाया जाये। आगामी तिथि निरस्त हो। प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति नहीं है / नष्ट हो। आदेश की प्रति उमयपक्ष को नि:शुल्क प्रदाय हो। परिणाम पंजी में दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।  (सुनील कांकर एड.) (धर्मन्द कुमार पांडे एड.) (सतीश कुमार गुप्ता) सदस्य सदस्य पीठासीन अधिकारी खठपी०क0–21 एवं विशेष न्यायाधीश विद्युत गोहद	परिवादी पक्ष